विधायी विभाग

27 फरवरी, 1974

हरियाणा गवर्नमैंट इलैक्ट्रिकल अंडरटेकिंग्ज़ (ड्यूज़ रिकवरी) ऐक्ट, 1970 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 25 फरवरी, 1974 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

हरियाणा सरकार बिजली-उपक्रम (देय-वसूली) अधिनियम, 1970

(1970 का हरियाणा अधिनियम सं० 29)

परिसीमा काल के विस्तार तथा राज्य सरकार या हरियाणा राज्य बिजली-बोर्ड को देय किन्हीं राशियों की शीघ्र वसूली हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा सरकार बिजली-उपक्रम (देय-वसूली) अधिनियम, 1970 कहा जा सकता है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अधीन गठित हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ; 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54.

(ख) "देय राशियों" से अभिप्रेत है, किसी सरकारी बिजली-उपक्रम को निम्नलिखित के मद्दे दी जाने वाली कोई राशि—

(i) प्रदाय की गई बिजली-उर्जा का उपभोग, कम से कम मासिक प्रभार, कम से कम उपभोग-प्रत्याभूति प्रभार और ऐसे अन्य प्रभार, जो साधारण प्रभारों एवं शुल्क-दर की अनुसूची में बोर्ड द्वारा विहित किए जाए ;

(ii) किसी बिजली-मोटर, बिजली लाइन, बिजली-मशीनरी, नियन्त्रण गियर, फिटिंगों, तारों के, या प्रदीपन, तापन, शीतन या चालन शक्ति के साधित्र के भाड़े, निरीक्षण, परीक्षण प्रतिष्ठापन, संबंधन, मरम्मत, अनुरक्षण, हटाने, परिनिर्माण या खोल डालने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए बिजली का प्रयोग किया जा सकता है, या किया जाए, या बिजली द्वारा चलायी जाने वाली किसी औद्योगिक या कृषि-मशीनरी के लिए कोई पारिश्रमिक, किराया या अन्य प्रभार ; या

(iii) कर्ज पर लिए गए, किन्तु लौटाए न गए यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी माल की कीमत ;

(ग) "ऋणी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कोई देय राशियां भुगतान योग्य हैं ;

(घ) "सरकारी बिजली-उपक्रम" से अभिप्रेत है, बोर्ड और राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा चलाया गया या नियन्त्रित ऐसा अन्य बिजली-उपक्रम, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ; और

(ङ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, बोर्ड का मुख्य इंजीनियर या ऐसे क्षेत्र में और उसके लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, पद के आधार पर, या अन्यथा, प्राधिकृत कोई व्यक्ति।

बिल में ऐसी तिथि बताना, जिस तक भुगतान किए जाने हैं, और भुगतान न किए जाने के परिणाम।

3. (1) किसी ऋणी द्वारा किसी सरकारी बिजली-उपक्रम को भुगतान योग्य देय राशियों के लिए प्रत्येक बिल विहित प्ररूप में होगा और उसमें वह तिथि स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगी, जिस तक ऐसी देय राशियों का भुगतान किया जाना है।

(2) यदि ऐसी तिथि तक देय राशियों का भुगतान नहीं किया जाता, तो ऋणी ऐसी देय राशियों के अतिरिक्त ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए, भुगतान करने के लिए दायी होगा और ऐसी देय राशियां और शास्ति, इस अधिनियम में इसके बाद बताई गई रीति में, ऐसी वसूली में किए गए खर्चों सहित, वसूली योग्य होंगी।

भुगतान न की गई देय राशियों और शास्ति के लिए मांग-नोटिस।

4. जहां, किसी ऋणी द्वारा बिल में उसके लिए विनिर्दिष्ट तिथि तक देय राशियों का भुगतान नहीं किया जाता, वहां विहित प्राधिकारी किसी भी समय विहित प्ररूप में ऋणी का नाम, विभिन्न देयों के मद्दे उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, शास्ति और वसूली के खर्चे और वह उपक्रम, जिसे ये भुगतान योग्य हैं, कथित करते हुए उस पर मांग-नोटिस की तामील करेगा या करवाएगा।

स्पष्टीकरण :—सम्बन्धित व्यक्ति पर, रजिस्ट्री डाक द्वारा नोटिस का भेजा जाना, पर्याप्त तामील समझा जाएगा।

भुगतान के दायित्व को चुनौती देने के लिए वाद।

5. (1) जहां धारा 4 के अधीन ऋणी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर मांग-नोटिस की तामील कराई गई है, वहां यदि वह देय राशियों, शास्ति या खर्चों के या उनमें से किसी के भी भाग के भुगतान के अपने दायित्व से इनकार करता है, तो वह मांग-नोटिस में विनिर्दिष्ट कुल राशि लिखित रूप में इस आपत्ति के साथ कि वह उसे भुगतान करने के लिए दायी नहीं है, विहित प्राधिकारी के पास जमा करने के पश्चात्, इस प्रकार जमा की गई देय राशियों या उनके किसी भाग के लौटाए जाने के लिए वाद संस्थित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वाद को विहित प्राधिकारी के पास राशि जमा करने की तिथि से छह महीने के भीतर किसी भी समय, सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है और ऐसे वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, मांग-नोटिस, उसमें वर्णित विभिन्न देय राशियों, शास्ति और खर्चे का निश्चायक सबूत होगा।

देय राशियों आदि की वसूली, यदि भुगतान न किया गया हो।

6. (1) यदि धारा 4 के अधीन तामील किए गए मांग-नोटिस में वर्णित विभिन्न देय राशियों, शास्ति और खर्चे की कुल राशि ऐसी तामील की तिथि के या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के साठ दिनों के भीतर, जो विहित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात की जाए, विहित प्राधिकारी के पास जमा नहीं की जाती, तो ऋणी ऐसी राशि के बारे में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और किसी अन्य विधि या लिखत या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(2) ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी, विहित प्ररूप में मांग की राशि और उसका ब्योरा तथा व्यतिक्रम करने वाले ऋणी का नाम और वर्णन कथित करते हुए अपने हस्ताक्षर से कलक्टर को प्रमाण-पत्र भेज सकता है और कलक्टर, ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर, मांग की राशि को ऋणी से वसूल करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा, मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो।

नियम बनाने की शक्ति।

7 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपबन्ध कर सकते हैं :—

(क) किसी सरकारी बिजली उपक्रम को किसी ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली विभिन्न देय राशियों के लिए बिल का प्ररूप।

(ख) नियत तिथि तक ऐसी देय राशियों के भुगतान न करने पर दी जाने वाली शास्ति के मापमान की राशि ;

(ग) मांग-नोटिस का प्ररूप और खर्चे, उसकी तामील का ढंग और वसूली के खर्चे ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र का प्ररूप ; तथा

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना पड़े या विहित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की

अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है और यदि उस सत्र को, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति से पूर्व सदन उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उसके बाद वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

देय राशियों के बकायों की वसूली।

8. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी सरकारी बिजली उपक्रम को भुगतान की जाने वाली और किसी ऋणी के प्रति बकाया सभी देय राशियों के सभी बकाये इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित रीति में भी वसूली योग्य होंगे :

परन्तु ऐसे बकायों की दशा में--

(i) यह आवश्यक नहीं होगा कि धारा 3 द्वारा यथा अनुध्यात बिल जारी किया जाए ; और

(ii) ऐसी तिथि को, जिस तक ऐसी देय राशियों का भुगतान किया जाना था, ऐसे बकायों का भुगतान न करने के लिए अब तक प्रचलित परिपाटी के अनुसार प्रभार्य कोई शास्ति, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् रूप से विहित शास्ति समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि धारा 4 द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी देय राशियों के और ऐसी शास्ति के बकायों के लिए मांग-नोटिस या धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जारी किया जा सकता है।

परिसीमाकाल का विस्तार।

9. परिसीमा अधिनियम, 1963, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,--

1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36

(क) बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 60 की उपधारा (1) और धारा 61-क के आधार पर, किन्हीं देय राशियों की वसूली के लिए, जो बोर्ड के प्रथम गठन की तिथि से पूर्व प्रोद्भूत हुई हैं, किसी वाद के, जो बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया था या किया जा सकता है, बारे में परिसीमाकाल बोर्ड के प्रथम गठन की तिथि से सदा छह वर्ष समझा जाएगा।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54

(ख) बोर्ड के प्रथम गठन की तिथि के पश्चात प्रोद्भूत होने वाली किसी राशि की वसूली के लिए किसी ऐसे वाद के बारे में, जो बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया था या किया जा सकता है, परिसीमा काल, ऐसे समय से, जिससे किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा इसी प्रकार के वाद के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन परिसीमाकाल प्रारम्भ हुआ था या प्रारम्भ होगा, छह वर्ष होगा और सदा छह वर्ष समझा जाएगा।

सरूप चन्द गोयल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।